ई–मेल/विभागीय वेबसाइट/साधारण डाक से

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-624/2020 - 21 /पटना, दिनांक-04/01/2021

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में पुल निर्माण की कुल 17 योजनाओं के लिये स्तम्भ–8 में अंकित लम्बाई (मी0) एवं स्तम्भ–13 में निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर अलग–अलग योजनाओं के लिये जिनकी कुल राशि **रू0 123.4333 करोड़ रूपये (एक अरब तेईस करोड़ तेतालीस लाख तेतीस हजार रूपये)** मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 06 जिलों यथा गया, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I अन्तर्गत स्वीकृत पथों पर पुलों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–17024/4(4)/2018-RC (FMS No 364034) दिनांक–03.12.2020 के द्वारा कुल 166 पुलों जिनकी (लम्बाई 10137.32 मी0) जिनकी कुल प्राक्कलित राशि रू0 493.3807 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रू0 493.3807 करोड़ में से राज्यांश की राशि रू0 239.4355 करोड़ है।

इनमें से 05–15.00 करोड़ की योजनाओं पर स्तम्भ–13 में अंकित राशि के निर्माण हेतु अलग–अलग योजनाओं के लिये निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु क्रमशः राशि रू0 122.3524 करोड़ रूपये तथा रू0 01.0809 करोड़ रूपये जिनकी कुल राशि **रू0 123.4333 करोड़ रूपये (एक अरब तेईस करोड़ तेतालीस लाख तेतीस हजार रूपये)** मात्र है, पर निम्न योजनाओं के लिए विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

2020-21 (Batch-I) [05-15.00 Cr.]												
Sl. No.	District	Division	Block	Package	Road Name	LSB Name	LSB Length (mtrs)	State Cost (Lacs)	Mord Cost (Lacs)	Total Cost	Maintenance Cost (Lacs)	Total Cost with Maintenance in lakhs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gaya	Imamganj	Banke Bazar	BR-12R-1118	L025-Jhauhyia River Rosanganj to Taradih (VR40)	RCC HL Bridge over Morhar River	222.34	721.70	166.51	888.21	7.18	895.39

2	Gaya	Sherg hati	Dobhi	BR-12R-1126	L022-T02 TO GANGI (VR2)	RCC HL Bridge in 2nd Km	151.94	392.17	240.48	632.65	5.55	638.20
3	Gaya	Sherg hati	Sherg hati	BR-12R-1145	L055-T01 TO NIMAN (VR35)	RCC HL Bridge in 1st Km	247.40	801.25	236.05	1037.30	10.46	1047.76
4	Jamui	Jhajha	Chaka i	BR-15R-490	T05-Pojha To Patharia (TRACK6)	Construction of HL RCC Bridge over Belwari River on T05 Pojha to Patharia Road	125.00	276.37	254.02	530.39	2.01	532.40
5	Jamui	Jhajha	Sono	BR-15R-508	L145-Sono Chakai PWD Road to Mohgain Bujhayat Road (VR86)	Construction of 1st HL RCC Bridge over Barnar river in Sono Chakai PWD Road to Mohgain Bujhayat Road	210.64	699.15	272.87	972.02	5.76	977.78
6	Jamui	Jhajha	Sono	BR-15R-509	L145-Sono Chakai PWD Road to Mohgain Bujhayat Road (VR86)	Construction of 2nd HL RCC Bridge ove Barnar river in Sono Chakai PWD Road to Mohgain Bujhayat Road	126.64	284.30	252.98	537.28	3.51	540.79
7	Jamui	Jhajha	Sono	BR-15R-511	L043-Itwa To Barabak (TRACK29)	Construction of HL RCC Bridge over Barner in Itwa to Barabak Road	144.04	336.29	235.41	571.70	3.99	575.69
8	Katih ar	Barsoi	Barsoi	BR-16R-386	T07-Pamra to Balrampur Siman (VR8)	Motibari	129.20	386.13	254.56	640.69	6.22	646.91
9	Katih ar	Katiha r	Korha	BR-16R-390	L084-PMGSY ROAD VINODPUR TO BENGALI TOLA (VR84)	Kari Kosi	202.88	1037.4 4	77.50	1114.95	7.20	1122.15
10	Katih ar	Manih ari	Manih ari	BR-16R-392	L045-DILARPUR HARI CHCWK TO SAHPUR	Local river	116.16	401.00	249.58	650.58	5.87	656.45
11	Madh epura	Uda Kishu nganj	Alamn agar	BR-20R-229	L025-T-05 SONAMUKHI to MURAUT (VR12)	Construction of RCC Bridge Over Barahi Dhar	135.28	629.40	276.61	906.00	10.71	916.71
12	Madh epura	Uda Kishu nganj	Gwalp ara	BR-20R-232	L037-Babhangama to Yadav tola (VR8)	Construction of RCC HL Bridge in 1st Km	90.20	352.81	349.39	702.20	9.36	711.56
13	Madh epura	Madh epura	Kuma rkhan d	BR-20R-233	L043-Rahta To Sonapur (VR43)	Construction of RCC bridge in 2nd km	112.74	355.91	231.66	587.56	5.27	592.83
14	Madh epura	Madh epura	Singh eshwa r	BR-20R-234	L034-L-027 To Kanua Teli Tola (VR34)	Construction of RCC Bridge in 1st km	97.74	276.14	236.09	512.23	3.98	516.21
15	Sitam arhi	Sitam arhi	Bathn aha	BR-33R-659	L048-T04 Bela Road to Supaina (VR29)	CONSTRUCTIO N OF HL RCC BRIDGE L048-T04 BELA ROAD TO SUPAINA	94.20	245.76	368.64	614.40	8.05	622.45
16	Sitam arhi	Sitam arhi	Major Ganj	BR-33R-660	L039-Pachharwa to Kailashpur (VR39)	CONSTRUCTIO N OF HL RCC BRIDGE PACHHARWA TO KAILASHPUR	72.18	199.66	299.50	499.16	7.12	506.28

17	Supau 1	Supau 1	Supau 1	BR-35R-202	L053-T05 to Kadam (TRACK20)	Construction of RCC bridge in 1st Km	136.82	562.86	275.06	837.92	5.85	843.77
Total							**2415.40**	**7958.34**	**4276.91**	**12235.24**	**108.09**	**12343.33**

05–15.00 करोड के कुल 17 पुलों (लम्बाई 2415.40 मी0) अनुरक्षण सहित कुल प्राक्कलित राशि रू0 123.4333 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें राज्यांश की राशि क्रमशः रू0 79.5834 करोड़ रूपये की राशि होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रू0 01.0809 करोड़ रूपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। विभाग के लिए शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबंध से अनुरक्षण कार्य के लिए कर्णांकित राशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वर्ष 2020–21 (Batch-1) के अन्तर्गत Programme fund से कार्यान्वित की जाने वाली इन योजनाओं के लिए निर्माणोपरान्त अनुरक्षण हेतु निर्धारित अवधि 05 साल है।

3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पुलों के निर्माण में रू0 79.5834 करोड़ रूपये की राशि राज्यांश होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा रू0 01.0809 करोड़ रूपये की राशि अनुरक्षण की होगी जो राज्य के गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

4. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

6. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा। अनुरक्षण सहित सम्मलित राशि में से रू0 01.0809 करोड़ रूपये की राशि अनुरक्षण की होगी जो राज्य के गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इस योजना पर निम्नांकित शर्त्तो के साथ सहमति दी जा सकती है। इन शर्त्तों का पत्राचार अंश पर रक्षित स्वीकृत्यादेश प्रारूप में समाहित करते हुए स्वीकृत्यादेश प्रारूप का अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है :–

(क) BRRDA के लिए निर्धारित प्रावधान / प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली क सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलबधता के आधार पर व्यय की जायेगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ङ) प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करारना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(ज) विभागीय संकल्प 4168 दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को PMGSY योजनान्तर्गत स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तदनुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

12. इस योजना के लिए समीक्षा प्राधिकार (स्थायी वित्त समिति) की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-624/2020 के पृ0–68–70/प0 पर दिनांक–11.12.2020 को तथा स्वीकृति प्राधिकार विभागीय माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति दिनांक–30.12.2020 को संचिका के पृ0–09/टि0 प्राप्त है।

13. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2), दिनांक–31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2), दिनांक–15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–3758 वि०, दिनांक–31.05.2017, के प्रावधानों एवे वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक–22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-624/2020 पृ0–.....13../टि0 पर दिनांक–....4.1.2021.... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

4/1/2021

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-624/2020 - 2/ /पटना, दिनांक-04/01/2021

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/1/2021
विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-624/2020 – 2/ /पटना, दिनांक-04/01/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/1/2021
विशेष सचिव